न्यायालय अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः—उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

निगरानी सं. 25/2017

1. भीमसैन पुत्र श्री रूपराम जाति जाट निवासी नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

——निगरानीकर्ता

वनाम

1. रामप्रताप
2. ओमप्रकाश
3. लिछमणराम

पिसरान श्री मुखराम जाति जाट निवासी नाईवाला, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

4. ग्राम पचायत सुरेवाला पंचायत समिति टिब्बी जिला हनुमानगढ जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सुरेवाला।
5. ग्राम पंचायत नाईवाला पंचायत समिति टिब्बी जिला हनुमानगढ़ जरिये सरपंच ग्राम पंचायत नाईवाला।

——अप्रार्थीगण

निगरानी प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम बनाराजगी आबादी भूमि का विक्रय विलेख/पट्टा जरिये ग्राम पंचायत सुरेवाला दिनांक 17.06.1990 बहक रामप्रताप, ओमप्रकाश, लिछमण पिसरान मुखराम के पक्ष में बिना नम्बरी जारी किये गये, को निरस्त फरमाने बाबत

उपस्थितः— 1. श्रीमती शकुन्तला भाटीवाल अभिभाषक निगरानीकर्ता।
2. श्री अनिल कुमार शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी सं0 02 ता 03।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

—:निर्णयः—

दिनांकः—25.02.2025

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/निगरानीदार की ओर से इस प्रकार है कि निगरानी विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 उनके पक्ष में जारी विक्रय विलेख पट्टे ग्राम पंचायत आर्थी संख्या 4 द्वारा विधि विरूद्ध रूप से जारी किये गये, को निरस्त किये जाने बाबत प्रस्तुत की जा रही है। विक्रय विलेख रामप्रताप, ओमप्रकाश व लिछमणराम के पक्ष में जारी की सत्य प्रतिलिपि प्रार्थी को उपलब्ध नहीं हो पाई है, असल अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के कब्जा में है। अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 ने उक्त विक्रय विलेख की सत्य प्रतिलिपि देने से इन्कार इसलिए कर दिया कि ग्राम पंचायत के पास इन विक्रय विलेखे की प्रति उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा ग्राम सचिव ग्राम पचायत नाईवाला के समक्ष प्रस्तुत की गई विक्रय विलेखों की प्रतिलिपि के आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी ग्राम पंचायत नाईवाला का स्थायी निवासी है। ग्राम नाईवाला में ग्राम की फिरनी ग्राम के पश्चिमी दिशा में उत्तर से दक्षिण को जाती है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ने इस फिरनी को बन्द कर दिया जिससे आम किसानो को आबादी से अपनी कृषि भूमि में जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए प्रार्थी ने दिनांक 05.05.2017 को जिला कलैक्टर महोदय हनुमानगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि फिरनी जो कि कई वर्षो से मौका पर चालू है, को खुलवाया जावे। श्रीमान जिला कलैक्टर हनुमानगढ द्वारा प्रार्थना पत्र की जांच के दौरान अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ने ग्राम सचिव ग्राम पचायत नाईवाला के समक्ष स्पष्टीकरण मय फोटो प्रतियां पट्टा प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण के पक्ष में प्लॉट उत्तर से दक्षिण 346 फुट,

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

पश्चिम दिशा की बाही उत्तर से दक्षिण 346 फुट, उत्तर की बाही पूर्व से पश्चिम 228 फुट व दक्षिण की बाही पूर्व से पश्चिम 130 फुट प्रस्तुत किया और निवेदन किया कि यह जगह फिरनी अथवा रास्ते की नहीं है। प्रार्थीगण के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 17.06.1990 के आधार पर प्रार्थीगण काबिज है, इसलिए प्रार्थीगण के हक व हिस्सा के पट्टा की जगह पर रास्ता नहीं खुलवाया जा सकता। अप्रार्थीगण के पास अपने रिहायशी मकान सभी के पास अलग अलग है जिनमें वो कई वर्षो से रिहायश कर रहे है। पट्टो में दर्ज भूमि आबादी भूमि है एवं फिरनी की जगह पर कब्जा किया गया है, ग्राम पंचायत के नक्शा में विवादित भूमि आबादी भूमि की श्रेणी में आती है लेकिन इस भूमि के संबंध में जारी पट्टा में प्लाट नंबर का कही भी नक्शा के साथ मिलान नहीं हो रहा है। प्रश्नगत पट्टे जिस भूमि पर भूखण्डों के रूप में बनाये गये है, उक्त आबादी भूमि है लेकिन अप्रार्थीगण ने विवादित पट्टा प्राप्त करने के बाद कभी भी इस भूमि को आवासीय मकान के रूप में उपयोग नहीं किया है। यह भूमि लगभग ढाई बीघा बनती है, जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 काश्त करते है व कृषि भूमि में रूप में इसका उपयोग कर रहे है जबकि विवादित भूमि कृषि भूमि नहीं है और अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को इस भूमि पर कृषि कर नाजायज फायदा उठाने का अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण के पक्ष में उक्त पट्टे जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायत अधिनियम सन् 1961 व इसके अधीन बने नियमों के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है व जारी पट्टो पर किसी तरह का क्रमांक दर्ज नहीं है और इन पट्टो का कोई रिकार्ड अथवा अंकन अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 के पास नहीं है। तत्कालीन सरपंच द्वारा केवल मात्र अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को नाजायज लाभपहुंचाने के उद्देश्य से कथित पट्टे जारी किये गये है। विवादित कथित पट्टो की जगह पर सीमा चक नंबर 10 ए सीडीआर मानचित्र 9 सीडीआर तहसील टिब्बी जिला श्रीगंगानगर डिविजन बीकानेर अनुसार नजरी नक्शा में दर्शाई गई पीले रंग की जगह पर आबादी भूमि है, औरेंज रंग आबादी भूमि से कृषि भूमि में जाने के लिए फिरनी दर्ज है और लाल रंग विवादित स्थल जहां से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ने इस फिरनी को बन्द कर इसे कृषि उपयोग में ले लिया है जिसकी वजह से प्रार्थी को अपने खेत में जाने के लिए रास्ता ही बन्द हो गया है, अन्य कोई रास्ता की जगह उपलब्ध नहीं है। नजरी नक्शा में दर्ज फिरनी की जगह के पश्चिम दिशा में कृषि भूमि है जिसमें अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की भी कृषि भूमि है जो मुरब्बा नंबर 73 में दर्ज है। हालांकि मुरब्बा नंबर 77 के काश्तकार यासीन व निशार खां ने भी मुरब्बा नंबर 77 के पूर्व दिशा में अंकित लाल जगह को चालू फिरनी के रूप में बन्द कर दिया है और इस जगह को कृषि भूमि के रूप में उपयोग कर रहा है लेकिन यासीन द्वारा फिरनी की जगह को खोलने में कोई आपत्ति नहीं की है और उसके पक्ष में कोई पट्टा भी जारी नहीं है, इसलिए प्रार्थी विधिवत् रूप से उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है लेकिन यासीन द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पक्ष में जारी पट्टो की आड़ में फिरनी को बन्द करने के बाद ही इस जगह को बन्द किया गया है और अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा फिरनी की जगह को खोलने पर यासीन भी इस जगह को खोलने हेतु रजामंद है इसलिए भी उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पक्ष में जारी कथित विक्रय विलेख/पट्टे प्रथम दृष्टया ही विधि के नियमों के विपरीत दृष्टिगत होते है। निःशुल्क जारी पट्टा है जिस पर भी कोई क्रमांक अंकित नहीं है और यह पट्टे आबादी भूमि ग्राम पंचायत के नक्शा में कही भी मेल नहीं खाते है, इसके अलावा कथित पट्टो में दर्ज भूमि पंचायत अधिनियम के विपरीत है क्योंकि इतनी भूमि का रिहायशी आवास हेतु पट्टा जारी नही किया जा सकता। अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के पक्ष में जारी कथित पट्टो में किसी तरह का क्षेत्रफल अंकित नहीं है और इन पट्टो में दर्ज नक्शा में किसी भी तरह से रास्ता नहीं दिखाया गया है। ऐसे में जारी कथित पट्टे अपने आप में ही विवादित है और संभवतः तत्कालीन सरपंच द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 का रिश्तेदार अथवा संबंधी होने के कारण कथित पट्टे जारी किये गये है। कथित पट्टो की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु प्रार्थी ने ग्राम पंचायत नाईवाला व ग्राम पंचायत सुरेवाला के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था लेकिन ग्राम पंचायत नाईवाला द्वारा दिनांक 26.07.2017 को प्रार्थी को एक पत्र क्रमांक 87/26/07/17 जारी कर सूचना दी गई कि ग्राम पंचायत सुरेवाला द्वारा प्राप्त पट्टाधारियों की सूची में उक्त नामो से कोई पट्टा जारी नहीं है व ना ही ग्राम पंचायत नाईवाला में इन नामो से कोई रिकार्ड उपलब्ध है। कथित विवादित पट्टे वर्ष 1990 के जारी है लेकिन इन पट्टो को अप्रार्थीगण द्वारा कभी भी

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

सार्वजनिक नहीं किया गया व ना ही इन जगह पर निर्माण कार्य किया गया बल्कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 विवादित स्थल को जो लगभग ढाई बीघा भूमि बनती है, कृषि भूमि के रूप में उपयोग कर रहे है और मौका पर धान की फसल खड़ी है। इस विवादित स्थल के पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण 20 फुट फिरनी की जगह हैं जो काफी अर्सा से चल रही है अब करीब ढेड़ दो माह पूर्व जब अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ने इस रास्ते की जगह को बन्द कर दिया तब दिनांक 05.05.2017 को प्रार्थी ने रास्ता खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और इस प्रार्थना पत्र की जांच के दौरान कथित पट्टो के अस्तित्व में होने की जानकारी प्रार्थी को प्राप्त हुई है। पट्टो की जानकारी प्राप्त होने पर प्रार्थी ने इन पट्टो की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत नाईवाला के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके जवाब में दिनांक 26.07.2017 को ग्राम पंचायत ने यह सूचना प्रार्थी को जारी की कि इन पट्टो की प्रतियां ग्राम पंचायत के पास नहीं है। सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी ने पंचायत समिति से भी पट्टो के संबंध में जानकारी चाही लेकिन पंचायत समिति के पास भी इन पट्टो की कोई प्रतियां उपलब्ध नहीं है। ज्ञान होने पर पंचायत समिति टिब्बी से कथित पट्टो की फोटो प्रति ही प्राप्त की जो प्रार्थी को दिनांक 08.08.2017 को प्राप्त हुई है। अतः निगरानी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावें तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पक्ष में जारी कथित पट्टे दिनांक 17.06.1990 को अपास्त फरमाये जावें।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीयान की तलबी की गयी। अप्रार्थीयान जरिये अभिभाषक उपस्थित आये।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पक्ष में जारी कथित पट्टे दिनांक 17.06.1990 को अपास्त फरमाये जावें।

अभिभाषक अप्रार्थी सं0 02 ता 03 ने अपनी बहस में कथन किये कि निगरानीधीन पट्टा ग्राम पचांयत द्वारा विधिवत जारी किया गया है। पंचायती राज अधिनियम में सरपंच पट्टा जारी करने के लिए अधिकृत है। पट्टा 1990 में जारी किया हुआ है तब कार्यवाहक सचिव कार्यरत था। निगरानीकर्ता जो कि अप्रार्थीगण का चाचा का लड़का है, निगरानीकर्ता के घर का पट्टा भी अप्रार्थीयान के साथ बना है जिसका ज्ञान पूर्व में निगरानीकर्ता को था। निगरानी मियाद बाहर है। निगरानीकर्ता का रास्ता बाधा कारित नही है जबकि राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ता चालू है। अप्रार्थीयान के पास विधिवतः पट्टा है जो आज तक चुनौती नही हुआ है ना हि सक्षम प्राधिकारी जरिये किया गया है। अप्रार्थीयान का स्वामित्व योजनान्तर्गत स्वामीत्व घोषित हो चुका है जिसके अनुसार अप्रार्थीगण मालिक है व स्वामित्व के पट्टे है। निगरानीकर्ता को उक्त पट्टो का पूर्व से ही ज्ञान था निगरानीकर्ता के उक्त निगरानी मियाद बाहर है। अतः निगरानीकर्ता की उक्त निगरानी खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया और उद्घृत न्यायिक नजीरों पर मनन किया गया।

1. निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने में हुयी देरी के संबंध में निगरानी के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र व निगरानीकर्ता के शपथ पत्र के आधार पर निगरानी में हुयी देरी को न्यायहित में माफ (कन्डोन) करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।
2. प्रश्नगत पट्टे जो रामप्रताप, ओमप्रकाश, लक्ष्मणराम के नाम से सरपंच ग्राम पंचायत सूरेवाला पंचायत समिति हनुमानगढ़ द्वारा जारी किये गये है में क्रमांक, रसीद संख्या अंकित नही है ना ही प्रश्नगत पट्टों की लम्बाई चौडाई अंकित है।
3. ग्राम पंचायत नाईवाला पंचायत समिति टिब्बी के पत्र क्रमांक 87 दिनांक 26.07.2017 अनुसार "रामप्रताप पुत्र मुखराम, ओमप्रकाश पुत्र मुखराम एवं लक्ष्मणराम पुत्र मुखराम" के नाम से ग्राम पंचायत सुरेवाला से प्राप्त पट्टा धारियों की सूचि में उक्त नामों से कोई पट्टा जारी नही है, और न ही ग्राम पंचायत नाईवाला में इन नामों से रिकार्ड उपलब्ध है। उक्त संबंध में विस्तृत जांच की आवश्यकता होना प्रतीत होता है। इस

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

हेतु प्रकरण को ग्राम पंचायत, नाईवाला पंचायत समिति टिब्बी जिला हनुमानगढ को पुनः सुनवाई हेतु प्रेषित किया जाना उचित है।

अतः प्रकरण ग्राम पंचायत, सूरेवाला पंचायत समिति हनुमानगढ द्वारा दिनांक 17.06.1990 को रामप्रताप पुत्र मुखराम, ओमप्रकाश पुत्र मुखराम एवं लक्ष्मणराम पुत्र मुखराम के नाम से जारी पट्टो को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति, पंचायत समिति टिब्बी जिला हनुमानगढ प्रश्नगत पट्टो के रिकार्ड एवं मौके का गहन निरीक्षण उभय पक्षों की उपस्थिति में किया जावे व उभय पक्षों का पक्ष सुनकर व लिखित साक्ष्य लेकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत, नाईवाला पंचायत समिति टिब्बी जिला हनुमानगढ को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़